प्रेस नोट **दिनांक 24.04.20256**

अपहरण के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कलेंश बहादुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितन्द्र सिंह के नेतृत्व दिनांक 24.04.2026 को थाना दोहरीघाट द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर नई बाजार से मु0अ0सं0 71/26 धारा 64/87 बीएनएसएस मे वांछित अभियुक्त उमेश पुत्र मुसाफिर निवासी जहनियापुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

<u>अभियोग का विवरण</u>

1. मु0अ0सं0 71/26 धारा 64/87 बीएनएसएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

<u>नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्त</u>

1. उमेश पुत्र मुसाफिर निवासी जहनियापुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 32

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 24.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 45 टीम गठित कर जनपद के 50 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1400 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 274 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

🔥ऑपरेशन दहन” 🔥के तहत बड़ी कार्यवाही — 15 अभियोगों से संबंधित कुल अनुमानित कीमत – ₹1089250/- (दस लाख नवासी हजार दो सौ पचास रुपये) के अवैध मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन दहन” विशेष अभियान दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में जनपद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मादक पदार्थ के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण/विनिष्टीकरण तथा न्यायिक परिरक्षण हेतु निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद मऊ में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में मादक पदार्थों के सुरक्षित विनष्टीकरण की कार्यवाही करायी गई।

उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.04.2026 को मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा जनपद मऊ के विभिन्न थानों पर पंजीकृत कुल 15 अभियोगों (थाना दक्षिण टोला 03 अभियोग, थाना चिरैयाकोट 08 अभियोग, थाना मधुबन 02 अभियोग, थाना रानीपुर 02 अभियोग) से संबंधित जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थों का नियमानुसार विनिष्टीकरण कराया गया।

यह कार्यवाही जनपद गाजीपुर में सिलकान बेलफेयर सोसाईटी बाँका बहादुरगंज स्थित उधोग में स्थापित/संचालित इंसीनिरेटर/ब्वायलर द्वारा के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराई गई।

विनिष्ट किए गए माल का विवरण-

गांजाः- रेट-50,000 रू0, गांजा- 17.441 किग्रा, कुल मूल्य-872050 रू0

हेरोइनः-रेट-2,00,00,000 रू, हेरोइन- 0.006 किग्रा कुल मूल्य-120,000 रु०

डायजापाम गोलीः- टैबलेट रेट-400 प्रति गोली रू०, डायजापाम-0.243 किग्रा (243 गोली) कुल मूल्य-97200

कुल मूल्यः-10 लाख 89 हजार 250 रू0

कुल 15 अभियोगों में विनिष्ट मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत – कुल मूल्यः-10 लाख 89 हजार 250 रू0

मऊ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध यह कार्यवाही जनपद को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गैगेस्टर एक्ट से वांछित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में के अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 24.04.2026 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर को गिरफ्तारी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को पुलिस ने बबुआपुर चौराहे के पास से मु.अ.सं.

38/26 धारा 2(b)(i) व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त अमन सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह साकिन मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमन सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह साकिन मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष

मुकदमे का विवरण-

1. मु.अ.सं. 38/26 धारा 2(b)(i) व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 29,999 /- (उनत्तीस हजार नौ सौ निन्यानवे) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 29,999 /- (उनत्तीस हजार नौ सौ निन्यानवे) पीड़ित बिंदेश्वर त्रिपाठी कोतवाली नगर जनपद मऊ 29999 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पाक्सो एक्ट मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में के अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 24.04.2026 को थानान कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर व्हाईट पैलेस भीटी से मु0अ0स0 111/26 धारा 65(2),

351(2) व 5एम/6 पाक्सों एक्ट सें संबंध अभियुक्त पंकज यादव पुत्र हरदेव यादव निवासी मुसरदा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. पंकज यादव पुत्र हरदेव यादव निवासी मुसरदा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स111 0/65 धारा 26(2) ,351)2/एम5 व (6 पाक्सों एक्ट

शांति/सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिगत आज दिनांक 24.04.2026 को पुलिस लाईन मऊ के सभागार कक्ष में श्री सुनील कुमार सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़ की अध्यक्षता में रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के बाद होने वाले पासिंग आउट परेड़ व कानून-व्यवस्था/अपराध समीक्षा, हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुप कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान महोदय द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी तथा शांति/कानून व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुये निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये –

बैठक के दौरान पासिंग आउट परेड की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, अतिथि स्वागत, मंच व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कानून व्यवस्था/अपराध समीक्षा के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये -

1. छोटी-छोटी घटनाओं पर भी विशेष नजर बनायें रखें तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाय।

2. गंभीर घटना कारित होने पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया जाय एवं उच्चाधिकारियों को ब्रीफ किया जाय।

3 . जनशिकायतों/आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण किया जाय तथा मौके का भ्रमण अवश्य किया जाय।

4 . अपराधों को रोकने हेतु पैदल गस्त एवं पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5 . बीट व्यवस्था प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाय।

6 . पूर्व में संलिप्त रहे अपराधियों का अभियान चलाकर सत्यापन किया जाय तथा उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

7 . आगामी त्यौहारों के अवसर पर मंदिरों/मस्जिदों भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर गस्त/पिकेट की व्यवस्था की जाय।

8 . सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि बनायें रखें तथा अफवाहों का खंडन अतिशीघ्र करें।

9 . सभी थाने पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन कर आवश्यक दिशा-निर्देशों से सभी को अवगत करा दिया जाय।

11. मिशन शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत महिला हेल्प डेस्क, एन्टीरोमियो टीम एवं महिला बीट पुलिस कार्य करेगी। केन्द्र पर किसी भी महिला/पीड़िता के साथ विनम्र व्यवहार किया जाय।

12. छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध आदि पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश।

13. सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से iGOT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्स पूर्ण करें।

14. प्रशिक्षण प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय द्वारा जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ की उपस्थिति में की उपस्थिति में रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन मऊ में "बड़ा खाना" का किया गया आयोजन—

आज दिनांक 22.04.2026 को पुलिस लाइन मऊ में श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय श्री सुनिल कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर की उपस्थिति में रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड से पूर्व रिक्रूट आरक्षियों के साथ परम्परागत "बड़ा खाना" कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय श्री सुनिल कुमार सिंह, जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा कार्यक्रम के दौरान रिक्रूट आरक्षियों से संवाद स्थापित कर उनके लगभग 11 माह के कठिन एवं अनुशासित प्रशिक्षण की सराहना की गई तथा उन्हें भविष्य में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ करने हेतु प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए पुलिस सेवा के मूल्यों, कर्तव्यपरायणता एवं जनसेवा की भावना को सदैव सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा स्वयं रिक्रूट आरक्षियों को भोजन परोसकर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिससे जवानों में विशेष उत्साह एवं आत्मीयता का वातावरण देखने को मिला। सभी अधिकारियों एवं रिक्रूट आरक्षियों ने एकसाथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, जिससे आपसी समन्वय, सौहार्द एवं टीम भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत ये रिक्रूट आरक्षी शीघ्र ही आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड में सम्मिलित होकर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का अभिन्न अंग बनेंगे तथा जनसेवा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जनपद पुलिस द्वारा इस प्रकार के प्रेरणादायी आयोजनों के माध्यम से नवप्रशिक्षित आरक्षियों का मनोबल बढ़ाने, उनमें संगठन के प्रति समर्पण की भावना विकसित करने तथा सकारात्मक एवं अनुशासित कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

उक्त आयोजन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रतिसार निरीक्षक मऊ सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं प्रशिक्षु आरक्षीगण मौजूद रहें।